<u>कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश</u>

उपस्थित	**श्री चन्द्रभानु, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री मन्चूकुण्डा प्रकाशम इण्डस्ट्रीज इण्डिया प्रा0 लि0, ग्राम-वर्दिया, चोपन, सोनभद्र)।**
प्रार्थना पत्र संख्या	**94 / 11**
प्रार्थी की ओर से	**श्री उदयराज द्विवेदी, अधिवक्ता।**

<u>उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय</u>

1. व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-94 / 11, दिनांक 10.10.11 प्रस्तुत किया गया है जिसके माध्यम से निम्न प्रश्न पूछा गया है :-

दिनांक 01.01.2008 से 30.09.2008 के बीच के अनुबन्ध पर अनुबन्ध के आधार पर वर्तमान में सीमेन्ट कंकरीट से निर्मित इलेक्ट्रिक पोल / पिलर पर कर की दर क्या होगी ?

2. फर्म की ओर से श्री उदय राज द्विवेदी, अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 26.02.2008 को धारा-59 के अन्तर्गत उनके प्रार्थना-पत्र संख्या-26 / 2008 के उत्तर में उनके द्वारा सीमेन्ट कंकरीट से निर्मित इलेक्ट्रिक पोल / पिलर पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ग की प्रविष्टि संख्या-236 के अन्तर्गत फीडर पिलर के अन्तर्गत उक्त को मानते हुए 4% की करदेयता सीमेन्ट कंकरीट इलेक्ट्रिक पोल / पिलर पर निर्धारित की गयी थी। तत्पश्चात् उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ग की प्रविष्टि संख्या-236 की उपरोक्त प्रविष्टि विलोपित कर दी गयी तथा नोटिफिकेशन संख्या-2758, दिनांक 29.09.2008 द्वारा उक्त के स्थान पर कच्ची तम्बाकू उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ग की प्रविष्टि संख्या-236 में प्रतिस्थापित कर दी गयी। अतः दिनांक 29.09.2008 के पूर्व जो सप्लाई आर्डर उनके द्वारा स्वीकार कर लिये गये थे उन पर उस तिथि के पश्चात् भी उन पर 4% की दर से कर अदाएगी का दायित्व होना चाहिए।

3. उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ग की प्रविष्टि संख्या-236 निम्नवत है :-

236	Electrical goods, i.e.Winding wires and strips, Switches, selector switches, fuse-switches unit up to 15 amps. and not in enclosure, Contactors auxillary contactors, contact block, Control gears and starters, ammeter, Kwh meter, voltmeter, Insulating materials, insulator, jointing materials, Circuit breakers, HRC fuse, thermostat, programmable logic controller, timers, switch boards, panel boards, distribution boards, control panels, motor control center, power control center, bus duct, burner control cubicle, control desk, push button station, local control station, kiosk, **feeder pillar**, SMPS**,** Electrical relays and single phasing preventor and timers, overhead transmission line materials including components, accessories and spare parts thereof. **(as before 30.09.08)**

......2

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ग की प्रविष्टि संख्या-236 निम्नवत है :

236	Raw tobacco (vide Noti.no.-KA.NI-2-2758/XI-9(1)/08....dated 29.09.08 effective from 30.09.08)

4. एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, वाराणसी जोन-द्वितीय के पत्रांक-1245, दिनांक 04.04.11, एवं ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, मीरजापुर के पत्र संख्या-1173 (1), दिनांक 03.11.11 द्वारा आख्या प्रेषित की गयी है जिसके अनुसार दिनांक 30.09.2008 के पश्चात् सीमेन्ट कंकरीट इलेक्ट्रिक पोल / पिलर पर अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% की दर से करदेयता होगी।

5. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र, पत्रावली एवं अभिलेखों आदि का परिशीलन किया गया। पाया गया कि नोटिफिकेशन संख्या-2758, दिनांक 29.09.2008 के पूर्व उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ग की प्रविष्टि संख्या-236 में फीडर पिलर सम्मिलित थे। अत: दिनांक 29.09.2008 के पूर्व फीडर पिलर पर 4% की करदेयता कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा इन्हीं व्यापारी के वाद में अपने आदेश दिनांक 26.02.2008 (प्रार्थना-पत्र संख्या-26 / 2008, सर्वश्री मन्चूकुण्डा प्रकाशम एण्ड कम्पनी, वर्दिया, चोपन, सोनभद्र) द्वारा निर्धारित की गयी थी। परन्तु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नोटिफिकेशन संख्या-2758, दिनांक 29.09.2008 द्वारा उक्त प्रविष्टि को विलोपित करते हुए उक्त के स्थान पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ग की प्रविष्टि संख्या-236 में कच्ची तम्बाकू प्रतिस्थापित कर दी गयी। फीडर पिलर को अनुसूची-1, 2, 3 एवं 4 किसी में सम्मिलित नहीं किया गया। परिणामत: दिनांक 30.09.2008 के पश्चात् फीडर पिलर किसी अनुसूची में वर्गीकृत नहीं रह जाते हैं जिस कारण सीमेन्ट कंकरीट से निर्मित इलेक्ट्रिक पोल / पिलर पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% (अतिरिक्त कर अतिरिक्त) की दर से करदेयता बनेगी। दिनांक 30.09.08 को अनुसूची में किये गये उपरोक्त संशोधन के पूर्व (दिनांक 01.01.2008 से 30.09.2008 के मध्य) किये गये किसी अनुबन्ध के अन्तर्गत नोटिफिकेशन संख्या-2758 दिनांक 29.09.08 के पश्चात् व वर्तमान में सीमेन्ट कंकरीट से निर्मित इलेक्ट्रिक पोल / पिलर की बिक्री पर 12.5% (अतिरिक्त कर अतिरिक्त) की दर से करदेयता निर्धारित की जाती है।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 17 दिसम्बर, 2011

ह0 / 17.12.2011

(चन्द्रभानु)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ,लखनऊ।